राजस्व वाद संख्या 97/2019 अनवान गोपलसिंह बनाम जालमसिंह

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
25.11.19	पत्रावली पेश हुई।	

वादीगण के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या स्वंय उप0।

वादीगण के अधिवक्ता को सुना गया। वादीगण ने उक्त वाद इस आश्य का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी का एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार है। वादीगण एवं प्रतिवादी हिन्दू विधि से शासित होते है जो पूर्व पुरूष तनेराजसिंह के वंशज है।

वादीगण एवं प्रतिवादी की संयुक्त एंव पैतृक खातेदारी जोत मौजा मतुजा पटवार मण्डल हाथीसिह का गांव तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 228 रकबा 107 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादी का संयुक्त रूप से 1/5–1/5 हिस्सा बनता है, वादीगण सं 1 से 4 भी प्रतिवादी के साथ 1/5 हिस्से में स्व. तनेराजसिंह के पोत्र होने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार उनके जन्म के साथ ही अपने पिता प्रतिवादी के साथ खातेदारी अधिकार पैदा हो गए है। वादीगण प्रतिवादी के साथ वादग्रस्त भूमि मे मौके पर पृथक से रहवासी ढाणियों सहित काबिज काश्त होने से वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ 1/5–1/5 हिस्सा बनता हैं। राजस्व रेकर्ड मे वादीगण का नाम दर्ज नही होने से वादीगण द्वारा अपने हिस्सा की भूमि में उपजाये जा रहे अन्न को सर्मथन मूल्य मे सरकार को बैचान मे परेशानी हो रही है। साथ ही रेकर्ड में वादीगण का नाम सही होने से गिरदावरी रिपोर्ट भी वादीगण के पिता प्रतिवादी के नाम होने से वादीगण सरकारी योजनाओ का लाभ वंचित रह जाते है। इस तमाम कारणों के आधार पर वादीगण का वादग्रस्त आराजी में अपना 4/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी का 1/5 हिस्सा घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में पुश्तैनी रेकर्ड में वादीगण के पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अजखुद उपस्थित होकर इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा माफिक वाद स्वयं के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की वादीगण ने बतौर साक्ष्य अपना ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

पक्षकारन ने अपने बयान कलमबद्व करवाये ओर दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदी वादीगण के पितामह जालमसिंह के संरपच ग्राम पंचायत हाथीसिह का गांव द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है।

हमने वाद के तथ्यों पर दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया कि वादग्रस्त भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी सम्पति की है। जो उन्हें स्व. तनेराजसिंह से विरासत मे प्राप्त हुई थी। संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार जालमसिहं के 4 पुत्र– गोपलासिह, थानसिह, डूगरसिह, देरावरसिह है और इनके अतिरिक्त जालमसिह के अन्य कोई जीवित या मृत वारिस नहीं है और पुश्तैनी भुमि के आधार पर वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादीगण का प्रतिवादी के साथ वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मतुजा, पटवार मण्डल हाथीसिंह का गांव, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 228 रकबा 107 बीघा भूमि में प्रतिवादी के साथ वादीगण को 4/5 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाते है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदुनुसार डिकी पर्चा जारी हो। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

डिकी पर्चा
(आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाडमेर

राजस्व वाद सं. 97/2019
अन्तर्गत धारा 88, 188, 40 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. गोपालसिंह पुत्र जालमसिंह 2. थानसिंह पुत्र जालमसिंह 3. डूंगरसिंह पुत्र जालमसिंह 4. देरावरसिंह पुत्र जालमसिंह जाति– राजपूत, नि0 हाथीसिंह का गांव तह0 शिव		जालमसिंह पुत्र तनेराजसिंह, जाति– राजपुत, नि0 हाथीसिंह का गांव तह0 शिव

अधिवक्ता –वादी वकील – श्री ब्रजमोहन कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वकील श्री ब्रजमोहन कुमावत एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं की उपस्थिति में आज तारीख 16.10.2019 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मतुजा, पटवार मण्डल हाथीसिंह का गांव, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 228 रकबा 107 बीघा भूमि में प्रतिवादी के साथ वादीगण को 4/5 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाते है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:32:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: